सीबीआई, इंटरपोल के आईसीएसई डेटाबेस में शामिल

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, साइबर सुरक्षा

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) चुनिंदा देशों के लिए सुलभ इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (International Child Sexual Exploitation- ICSE) डेटाबेस में शामिल हो गया है।
- विदित है कि इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

सीबीआई के आईसीएसई डेटाबेस में शामिल होने के निहितार्थ

- जांच एजेंसी के क्षमता में वृद्धि
  - इंटरपोल के आईसीएसई डेटाबेस में शामिल होने से जांच एजेंसी को विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इंटरनेट पर दृश्य-श्रव्य क्लिप से दुर्व्यवहार करने वालों, पीड़ितों और अपराध स्थल की पहचान करने के लिए अधिक क्षमता प्राप्त होगी।
- बाल शोषण अपराधियों की पहचान
  - एक खुफिया और खोजी साधन, डेटाबेस, औसतन दुनिया भर में प्रतिदिन सात बाल पीड़ितों की पहचान करने में सहायता करता है।

- यह सोशल मीडिया और विभिन्न स्रोतों द्वारा सामने आनी वाली दृश्य-श्रव्य क्लिप का उपयोग करता है।
- अब तक, इसने बाल शोषण के 30 हज़ार से अधिक पीड़ितों और 13 हज़ार से अधिक अपराधियों की पहचान की है।

- बाल यौन शोषण सामग्री के विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन में सहायक
  - इंटरपोल के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई) डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसईएम) का विश्लेषण करने और पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के मध्य संबंध बनाने के लिए वीडियो और फोटो तुलना का उपयोग करता है।
- जानकारी साझा करने में सहायक
  - डेटाबेस विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामलों पर जानकारी साझा करने की भी अनुमति देता है। फोटो और वीडियो तुलना सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, जांचकर्ता पीड़ितों और अपराध के स्थानों की पहचान करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं।
- प्रयासों के दोहराव से बचाव
  - इंटरपोल के अनुसार, डेटाबेस प्रयासों के दोहराव से बचता है और जांचकर्ताओं को इसकी सूचना देकर समय की भी बचत करता है।
  - उदाहरणार्थ- क्या यह तस्वीरें पहले ही किसी अन्य देश में खोजी या पहचानी जा चुकी हैं अथवा क्या इसमें अन्य तस्वीरों से समानताएं हैं।

ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयास

- इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2017-20 के दौरान तीन साल की अवधि में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के 24 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें 80 प्रतिशत पीड़ित 14 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं।
- वर्ष 2019 में केंद्रीय अन्वेक्षण/जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) ने एक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण (Online Child Sexual Abuse and Exploitation-OCSAE) रोकथाम/जाँच इकाई की स्थापना की।
- यूनिट द्वारा विकसित खुफिया जानकारी के आधार पर, सीबीआई ने गत वर्ष भारत में ऑनलाइन सीएसईएम के कथित पेडलर्स के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया था।

- 2020 में वापस, महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने वीडियो और तस्वीरों में कैद बाल यौन शोषण को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर हासिल किया था।
- एनसीआरबी ने अमेरिकी की संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन 'एनसीएमईसी' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके द्वारा 'एनसीएमईसी' से ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री संबंधी टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।
- जांच एजेंसी ने गत वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस पर शुरू किए गए एक अभियान में 14 राज्यों में अपनी व्यापक कार्रवाई में 77 स्थानों पर छापेमारी की थी और सात लोगों को गिरफ्तार किया था।
- 83 आरोपियों के तलाशी अभियान में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और गैजेट्स की बड़ी खेप जब्त की गई थी, जिसमें पैसे के लेन-देन के पैटर्न और विभिन्न अपराधियों की संलिप्तता का पता चला।
- अभियान ने 50 से अधिक सोशल मीडिया समूहों को लक्षित किया था, जिनमें पांच हज़ार से अधिक कथित अपराधी पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, ब्रिटेन, बेल्जियम, घाना में स्थित कुछ अन्य आरोपियों के साथ बाल यौन शोषण सामग्री साझा कर रहे थे।

अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई)

- अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई) छवि और वीडियो डेटाबेस एक खुफिया और जांच उपकरण है, जो विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामलों पर डाटा साझा करने की अनुमति प्रदान करता है।
- छवि और वीडियो तुलना सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, जांचकर्ता पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के मध्य त्वरित संबंध बनाने में सक्षम होते हैं।
- यह 64 से अधिक देशों के विशेष जांचकर्ताओं को सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ डेटा साझा करने की भी अनुमति देता है।
- तस्वीरों और वीडियो की डिजिटल, दृश्य और श्रव्य सामग्री का विश्लेषण करके, पीड़ित पहचान विशेषज्ञ सुराग प्राप्त कर सकते हैं, मामलों में किसी भी ओवरलैप की पहचान कर सकते हैं और बाल यौन शोषण के शिकार लोगों का पता लगाने के अपने प्रयासों को जोड़ सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि भारत इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच रखने वाला 68वां देश है।

इंटरपोल

- इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
- इसकी स्थापना विश्व भर की पुलिस को सक्षम बनाने के लिए किया गया था, ताकि पूरी दुनिया को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।
- इसका मुख्यालय ल्यों, फ्रांस में स्थित है।
- प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की मेजबानी करता है, जो अपने राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को इससे संबद्ध करता है।
- विदित है कि भारत में सीबीआई इसकी नोडल एजेंसी है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

रुपये में वैश्विक व्यापार निपटान का निर्णय

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : आर्थिक मुद्दे	**तृतीय प्रश्न पत्र :** भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय निर्यात पर ध्यान देने के साथ वैश्विक व्यापार विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रुपये (INR) में इनवॉइसिंग, पेमेंट और आयात-निर्यात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

निर्णय क्यों लिया गया?

- केंद्रीय बैंक का यह कदम रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा पर बढ़ते दबाव का अनुसरण करता है।
- रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद, कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। भारतीय कंपनियां जो आयात के लिए भुगतान के वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रही थीं, फलतः इस निर्णय से उनके नए तंत्र के उपयोग का मार्ग सुगम होगा।

वर्तमान निर्णय

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के अंतर्गत भारतीय रुपये में सीमा पार व्यापार लेन-देन के लिए सभी निर्यात और आयात को रुपये में मूल्यवर्गित और इन्वॉइस किया जा सकता है।
- दो ट्रेडिंग पार्टनर देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार निर्धारित हो सकती है। इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेन-देन का सेटलमेंट भारतीय रुपये में होगा।
- आरबीआई के अनुसार, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और इस व्यवस्था को निर्यात पर बल देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है।
- विदेशी एक्सचेंज मैनेजमेंट (डिपॉजिट) विनियम, 2016 के विनियम 7(1) के अनुसार, भारत में एडी बैंकों को रुपया वोस्ट्रो अकाउंट (Rupee Vostro Accounts) खोलने की अनुमति दी गई है।
- किसी भी देश के साथ व्यापार लेन-देन के निपटान के लिए, भारत में एडी बैंक पार्टनर ट्रेडिंग देश के बैंक के स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं।
- इस व्यवस्था के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन-देन के निपटान की अनुमति दी गई है। साथ ही, यह निर्णय लिया गया है कि भारत के आयातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा, जिसे पार्टनर देश के बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
- इसके माध्यम से प्रोडक्ट्स और सर्विस का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को पार्टनर देश के बैंक के नामित स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात आय का भुगतान किया जाएगा।

नए व्यवस्था के तहत संचालन

- इस तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय आयातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा, जिसे विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान के खिलाफ भागीदार देश के संवाददाता बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था की गई है।
- भारतीय निर्यातक जो माल और सेवाओं के निर्यात के लिए इस तंत्र का उपयोग करते हैं, उन्हें भागीदार देश के संवाददाता बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि से भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) अधिसूचना के प्रावधानों के पालन के अधीन व्यापार लेन-देन के लिए बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

विदेशी खरीदारों से अग्रिम भुगतान लेने का अधिकार

- आरबीआइ की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वैश्विक कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने और वैश्विक समुदाय में भारतीय रुपये में कारोबार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आयात और निर्यात का सेटलमेंट भारतीय रुपये में ही करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इसके अंतर्गत भुगतान का सेटलमेंट करने से पहले अधिकृत डीलरों (एडी) को आरबीआइ की केंद्रीय शाखा स्थित विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति लेनी होगी।

निहितार्थ

- आरबीआई तंत्र से आयातकों और निर्यातकों को उन नियमों से बचने में सुविधा मिलने की संभावना है, जो कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी वैश्विक मुद्रा के उपयोग को रोकते हैं ।
- केंद्रीय बैंक के इस निर्णय से डॉलर की मांग को नियंत्रित किया जा सकेगा और इससे रुपये के अवमूल्यन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- रूस और ईरान जैसे देश जिन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है, उनके साथ भी देश के आयातक और निर्यातक सहूलियत के साथ व्यवसाय के बढने की संभावना है।

- विदित है कि पहली बार दुनिया के किसी भी देश के साथ भारतीय रुपये में कारोबार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि अभी तक ईरान जैसे देश के साथ इस तरह की व्यवस्था थी। नई अधिसूचना से रूस के साथ-साथ किसी भी देश के साथ भारतीय निर्यातकों के व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- यह भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अभी कई देशों के पास डालर का भंडार नहीं है, ऐसे देश भारत के साथ रुपये में ही कारोबार कर सकेंगे।

निष्कर्ष

- आरबीआइ के इस निर्णय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कारोबारी इसे किस सीमा तक अपनाते हैं।

स्रोत: द हिन्दू